फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

चीमा बनाम प्यारेलाल

किस्म मुकदमा– 225 आरटीए

नम्बर 21 /2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.02.20	अभिभाषक अपीलांट श्री सन्तनाथ योगी व केवियटकर्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तरफ से श्री सत्यपाल सिंह शेखावत उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने का कथन किया। इसके विपरीत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब करते हुए मूल अपील पर बहस सुनने का कथन किया। ऐसीस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई जाकर पत्रावली पर उभय पक्षों की गुणावगुण पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24–02–2020 का पेश हो। राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर	
24.02.20	विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 5 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 87/57 के किला नम्बर 15 में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। अदालत मातहत का उक्त अदेश रास्ते प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को की भूमि चक 5 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 87/57 के किला नम्बर 1 ता 3, किला नम्बर 8 ता 14, किला नम्बर 17 ता 20 कुल तादादी 14 बीघा भूमि स्थित है, इसके अतिरिक्त मुरब्बा नम्बर 87/43 के किला नम्बर 87/49 के किला नम्बर 18 ता 25, मुरब्बा नम्बर 87/44 के किलस नम्बर 1 ता 9, किला नम्बर 12 व 13, मुरब्बा नम्बर 87/49 के किला नम्बर 16 में तादादी 01 बीघा इस प्रकार 34 बीघा भूमि स्थित है। रेस्पोडेन्ट मुरब्बा नम्बर 87/49 के किला नम्बर 1 ता 5 से अपने खेत में आवागमन करता आ रहा है। ऐसी स्थिति में पूर्व में रास्ता व सिंचाई की तमाम सुविधा उपलब्ध होते हुए भी बदनियति व स्वार्थपूर्वक अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 'ए' आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने की इस्तदुआ की गई। प्रकरण में अदालत राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर	

Scanned with CamScanner

मातहत द्वारा धारा 251 'ए' के नियम 69 का अवलोकन व पालना किये बिना ही रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। जबकि यह विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि रास्ते के प्रकरणों में तहसीलदार स्वयं अथवा जहॉ आवश्यक हो पीठासीन अधिकारी स्वयं मौके का निरिक्षण करते हुए मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें।अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार के रिकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया गया है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्समय ऐसा किया जाता तो उनके समक्ष यह स्थिति स्वमेव प्रस्तुत हो जाती की रेस्पोडेन्ट को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में धारा 251 'ए' के तहत वैकल्पिक रास्ता या पक्षकार की सुविधा के लिए रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के मुरब्बे में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा II में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 ए आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 5 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 87/57 के किला

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

नम्बर 1 ता 3, 8 ता 14, 17 ता 20 कुल 14 बीघा भूमि है। जिस पर प्रार्थी व उसका पूरा परिवार लम्बे अर्से से काबिज काश्त है तथा मौके पर मकान करनाकर मय पशुधन रहवास कर रही है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर अवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने अपीलांट/अप्रार्थी की भूमि चक 5 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 87/57 के किला नम्बर 15 में से रास्ते की मांग की गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट व स्टेट के जवाब में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि मुरब्बा नम्बर 87/57 के पूर्व दिशा में कच्ची सड़क बनी हुई है। जो चक 4 केएचएम में पड़ती है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व उपलब्ध दस्तावेजात, नजरी नक्शा के अवलोकन के आधार पर मुरब्बा नम्बर 87/57 के किला नम्बर 15 में से 16.5 फिट चौड़ा व 165 फिट लम्बे रास्ते की मंजूरी प्रदान की गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। अभिभाषक रेस्पेडेन्ट ने अपनी बहस में आगे बतायाकि अन्य कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute nessecity & convinient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2019 पेज 738 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 5 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 87/57 के किला नम्बर 15 में से 16.5 फिट चौड़ा व 165 फिट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया गया है।

हमने अपीलाधीन आदेश व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute nessecity) को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। रास्ते के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के तहत संक्षिप्त जॉच के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त रास्ता आत्याधिक आवश्यक है या नहीं? तथा यह भी कि उक्त रास्ता अन्य खातेदार (प्रत्यर्थी) की जोत में से होकर (विशेषकर जब आवेदन नये रास्तों के लिए हो) पहुँचने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तब इस प्रकार रास्तों के मामलों में धारा 251 (ए) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा **संक्षिप्त जॉच, आत्यांतिक आवश्यकता एवं सुविधा को** जाना महत्वपूर्ण है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में जो रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि मुरब्बा नम्बर 87/57 के पूर्व की तरफ कच्ची सड़क चल रही है तथा उसी सड़क से प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता दिये जाने की अनुशंसा अदालत मातहत द्वारा की गई है।

हम रेस्पोडेन्ट के इस तर्क से सहमत है कि रास्ते के आवेदन में दूर या नजदीक का प्रश्न नहीं है, वरन् यह देखा जाना चाहिए कि क्या वह युक्तियुक्त, तार्किक, आत्यांतिक आवश्यकता व सुखाचार की शर्तो को पूरा करते है या नहीं? अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत चकप्लान के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के आवागमन हेतु पूर्व में कोई रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में आवागमन हेतु पूर्व से रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में धारा 251 ए के तहत (absolute nessecity) के आधार पर रास्ता स्वीकृत किया गया है। अदालत मातहत मौके पर आवागमन हेतु पूर्व से अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में चक 5 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 87/57 के किला नम्बर 15 में से 16.5 फिट चौड़ा व 165 फिट लम्बा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये है, जो धारा 251ए के प्रावधानों के अनुसार होने से युक्तियुक्त, तर्कसंगत व न्यायसंगत आदेश है। ऐसीस्थिति में इस अपील के माध्यम से अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है। अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का आदेश दिनांक 10–01–2020 यथावत बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(राम रतन सौंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.03.12 17:53:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: